

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी-04/16-17/पैरा/20

दिनांक: 18/5/18

उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा.....।

अति आवश्यक

विषय:- महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत महालेखाकार एवं राज्य सरकार ने आपके कार्यालय, आपके अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं उनके अधीन कार्यरत राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि के महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना समय पर एवं ठोस सक्षम साक्ष्यों सहित नहीं भिजवाने को गम्भीरता से लिया है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय के आक्षेपों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जो कि खेद का विषय है। समय पर आक्षेपों का निस्तारण नहीं होने पर अंकेक्षण की महत्ता कम हो जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय, आपके अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं उनके अधीन कार्यरत राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि के महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना 15 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु कार्यवाही संपादित करें।

विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि कोई भी संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि किसी भी स्थिति में अनुपालना सीधे ही महालेखाकार कार्यालय एवं इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करे तथा आप से संबंधित समस्त बकाया महालेखाकार प्रतिवेदन एवं आक्षेपों की सूची तैयार कर भिजवावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

Sd/-  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर  
दिनांक:

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी-04/16-17/पैरा/20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय.....को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित व आपके क्षेत्राधीन विद्यालय महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना 15 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु कार्यवाही संपादित करें।
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कार्यालय को ई-मेल करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली

[Signature]  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/ऑडिट/डीआई-1/ए.जी-04/16-17/पैरा/1

दिनांक: 18/5/18

उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा.....।

अति आवश्यक

विषय:- निरीक्षण निदेशालय द्वारा भण्डार के लेखों एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदनों की अनुपालना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निरीक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर एवं राज्य सरकार ने आपके कार्यालय, आपके अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं उनके अधीन कार्यरत राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि के निरीक्षण निदेशालय द्वारा भण्डार के लेखों एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना समय पर एवं ठोस सक्षम साक्ष्यों सहित नहीं भिजवाने को गम्भीरता से लिया है जिसके फलस्वरूप निरीक्षण विभाग के आक्षेपों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जो कि खेद का विषय है। समय पर आक्षेपों का निस्तारण नहीं होने पर अंकेक्षण की महत्ता कम हो जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय, आपके अधीन कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं उनके अधीन कार्यरत राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि के निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना 15 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु कार्यवाही संपादित करें।

विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि कोई भी संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि किसी भी स्थिति में अनुपालना सीधे ही निरीक्षण निदेशालय एवं इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करे तथा आप से संबंधित समस्त बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं आक्षेपों की सूची तैयार कर भिजवावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

-sd.


वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/ऑडिट/डीआई-1/ए.जी-04/16-17/पैरा/1

दिनांक:

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय.....को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय से संबंधित व आपके क्षेत्राधीन विद्यालय निरीक्षण निदेशालय के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना 15 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु कार्यवाही संपादित करें।
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेब साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कार्यालय को ई-मेल करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर